BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Vol. XXXXV 12th February 2014 No. 3

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज परिसर में नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का शुभारम्भ

कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारम्भ करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी एवं श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, श्री अमर कुमार अग्रवाल, डा० गीता जैन एवं अन्य।

महिलाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अवलोकन करते चैम्बर अध्यक्ष एवं अन्य।

प्रशिक्षण हेतु आयी महिलायें एवं प्रशिक्षिकायें।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज परिसर में दिनांक 08.02.2014 को नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का शुभारम्भ चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। प्रशिक्षण केन्द्र आधार महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति के सहयोग से स्थापित किया गया है और यहाँ पूर्णत: नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। आर्थिक स्वावलंबन हेतु नि:शुल्क प्रशिक्षण सिलाई कटाई, एम्ब्रायडरी, फॉल पिको, क्वील्ट बैग, मेंहदी कला, हाउस कीपिंग, मधुबनी पेंटिग, टिकुली क्राफ्ट, एप्लीक वर्क, मोबाईल रिपेयरिंग एवं कम्प्यूटर के क्षेत्र में दिया जाएगा।

महिलाओं को प्रशिक्षण देती प्रशिक्षिकाएं

प्रशिक्षण केन्द्र के शुभारम्भ पर उपस्थित चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

ज्ञातव्य है कि भारत सरकार एवं बिहार सरकार का कौशल विकास पर काफी जोर है और आगामी पाँच वर्षो में बिहार मे एक करोड़ लोगों के कौशल विकास का लक्ष्य है। इस वर्ष का लक्ष्य 16 लाख का है। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कौशल विकास कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु एक गवर्निंग काउंसिल बनी हुई है। इस कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने भी अपने सामाजिक दायित्व की पूर्ति हेतु चैम्बर परिसर में **'कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र'** की स्थापना की है।

इस केन्द्र के शुभारंभ के अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने कहा कि लोगों मे कौशल विकास की अत्यंत आवश्यकता है और कौशल विकास इस उद्देश्य से किया जाना चाहिए कि लघु प्रशिक्षण देने पर भी प्रशिक्षण पाने वाले की उपयोगिता स्वयं उसके आर्थिक स्वावलंबन के लिए और सामान्य जनता के लिए भी बढ़ जाए। उदाहरणार्थ- आज सिलाई-कटाई में प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता छोटे-छोटे गाँव में भी है। इसी तरह मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले की आवश्यकता छोटे गाँव से लेकर बड़े शहरों तक है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में लघु अवधि का प्रशिक्षण देकर भी लोगों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जा सकता है, जिसका लाभ प्रशिक्षण पाने वाले को तो होगा ही पूरे समाज को भी होगा। इसी उद्देश्य को ध्यान मे रखकर यह प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ किया गया है।

इस केन्द्र के शुभारंभ के अवसर पर आधार महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति की अध्यक्ष डा० गीता जैन ने बताया कि महिलाएँ इस प्रशिक्षण के बाद स्वावलंबी बन सकती है तथा आर्थिक रूप से भी सुदृढ होंगी।

इस अवसर पर चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा, श्री अमर कुमार अग्रवाल, श्री सुबोध जैन, श्री नवीन कुमार मोटानी, श्री विशाल टेकरीवाल, श्री राजाबाबू गुप्ता, श्री रामचन्द्र प्रसाद, श्री दिलीप जैन, श्री नमो नारायण अग्रवाल, श्री अजय कुमार सहित अनेक गण्यमान्य व्यक्ति, प्रेस प्रतिनिधि तथा आधार महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति की सचिव गीता रानी, प्रशिक्षिका ममता एवं दुर्गा बनर्जी, पुष्पा सिंह सहित काफी महिलाएँ उपस्थित थी।

इस प्रशिक्षण केन्द्र मे नामांकन हेतु चैम्बर कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

मोकामा में बनेगा पहला प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया

छत्रधारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने राज्य सरकार को दिया था प्रस्ताव

राज्य का पहला प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया मोकामा में होगा। इसका निर्माण 50 एकड़ में किया जाएगा। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एसआईपीबी) ने इसकी सहमति दे दी है। श्रीराम छत्रधारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया था।

दो माह के अंदर इसका शिलान्यास होगा। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। यह पूरी तरह से निजी होगा। इस एरिया में कौन-सी यूनिटें लगेंगी और यहां की भूमि किसे लीज पर दी जाएगी, इसका निर्धारण उक्त कंपनी करेगी। राज्य सरकार इस एरिया में कॉमन सुविधा बहाल करने के लिए अधिकतम 50 करोड़ रुपए की मदद करेगी। यह राशि चार किश्तों में कंपनी को दी जाएगी। विदित हो कि भूमि अधिग्रहण की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य में प्राईवेट इंडस्ट्रीयल एरिया स्थापित करने का निर्णय लिया था, जिसकी नियमावली दिसंबर में बनी थी।

क्या होगा फायदा : • उद्यमियों को भूमि के लिए मशक्कत नहीं करनी होगी • सुरक्षा के साथ कॉमन सुविधाएं जैसे-बिजली, सड़क, ड्रेनेज आदि आसानी से प्राप्त हो सकेंगे।

इन राज्यों में है प्राइवेट इंडस्ट्रीयल एरिया : महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक आदि।

क्यों पड़ी जरूरत : भूमि का अधिग्रहण उद्यमियों के साथ राज्य सरकार के लिए भी मुश्किल भरा काम साबित हो रहा था। मुआवजा व अन्य विवादों के कारण स्थानीय लोगों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहीं, बियाडा के पास सीमित भूमि होने के कारण उद्यमी काफी दिनों से यह मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने पूरा किया।

26 एकड़ पर सहमति : इंडस्ट्रीयल एरिया के लिए श्रीराम छत्रधारी इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड ने सरकार को प्रस्ताव दिया था। 26 एकड़ भूमि पर सहमति मिली है। जिसे बढ़ाकर 50 एकड़ किया जाएगा।"

जी. पी. सिंह, संरक्षक, छत्रधारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

दो माह में शिलान्यास : प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया को सहमति दी गई है। यह पहला प्रस्ताव है, जिसे स्वीकृत किया गया है। इसके निर्माण में सरकार 50 करोड़ रुपये तक की मदद देगी। दो माह में शिलान्यस होगा।"

शैलेश ठाकुर, उद्योग निदेशक

• 5967 एकड जमीन है बियाडा के पास • 120 एकड़ भूमि किसी को आवंटित नहीं

(साभार : दैनिक भास्कर, 21.1.2014)

चैम्बर ने किया दो ट्रिब्यूनल कार्यरत करने का स्वागत

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने राज्य सरकार द्वारा पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के विजिलेंस कोटे के द्वारा बिल्डरों के विरुद्ध आदेश पर अपील की सुनवाई के लिए दो ट्रिब्यूनल के गठन एवं उन्हें कार्यरत करने का स्वागत किया है। चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कहा है कि इन ट्रिब्यूनलों का गठन पहले भी हुआ था, परन्तु सुचारू रूप से नहीं हुआ और न ही कभी वह सुचारु ढंग से कार्यरत रहा। इसलिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एवं बिल्डर दोनों को ही बहुत परेशानी हो रही थी। इसलिए चैम्बर अध्यक्ष ने सरकार के इस कदम को अत्यन्त स्वागत योग्य एवं उपयोगी कहा है क्योंकि इससे तीनों पक्षों अर्थात म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बिल्डर एवं सामान्य जन जो फ्लैट खरीदते हैं, उनकी परेशानी दूर होगी।

(साभार : आज, 7.2.2014)

रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को संजीवनी देगी सरकार

राज्य सरकार ने सूबे की बीस हजार से अधिक रुग्ण या बीमार इकाइयों को दुरुस्त करने के लिए खाका तैयार कर लिया है। बीमार उद्योगों को फिर से खड़ा करने के लिए 50 करोड़ रुपये के कॉरपस फंड का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस फंड से बीमार इकाइयों को महज पांच फीसद ब्याज पर ऋण मुहैया कराया जाएगा। शीघ्र ही इस संदर्भ में मंजूरी के लिए प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद को भेजा जाएगा।

"रुग्ण इकाइयों के लिए फिलहाल 50 करोड़ के रिवाल्विंग फंड का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। सूबे में कौन-सी इकाई बीमार है। इसका पता लगाने के लिए स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त की जाएगी। जानकारी के मुताबिक सूबे में 20, 635 इकाइयां या तो बीमार हैं या मृतप्राय हो चुकी हैं। सूबे में सिल्क व हस्तकरघा उद्योग चौपट हो गए हैं। ऐसे उद्योगों को संजीवनी देने की योजना राज्य सरकार ने तैयार कर ली है।" **– शैलेश ठाकुर** (उद्योग विभाग के निदेशक)

सूबे में हैं 1.52 लाख पंजीकृत इकाइयाँ। इनमें 20635 इकाइयाँ बीमार, लुप्त या मृतप्राय

(विस्तृतः राष्ट्रीय सहारा, 25.1.2014)

विकास में गति के लिए बिहार चाहे रियायत

बिहार सरकार ने केंद्र से राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन (एफआरबीएम) कानून के प्रावधानों से उसे रियायत देने की गुजारिश की है। इससे राज्य सरकार को विकास कार्यों के लिए ज्यादा कर्ज मिल सकता है। इस बारे में राज्य सरकार ने 14 वें वित्त आयोग से भी सिफारिश की है।

एफआरबीएम कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत राज्य सरकार का सकल घाटा उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 फीसदी अधिक नहीं होना चाहिए। बिहार सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह ने बताया, 'इसकी वजह से राज्य सरकार की खर्च करने की क्षमता प्रभावित होती है। बिहार जैसे विकासशील राज्य में सरकारी खर्च से ही विकास होता है। इस कानून के प्रावधानों की वजह से हम बाजार से भी ज्यादा कर्ज नहीं ले सकते हैं। यही वजह है कि राज्य सरकार अच्छी माली हालत के बावजूद बिहार की तरक्की पर ज्यादा खर्च नहीं कर पा रही है।'

(विस्तृतः बिज़नेस स्टेडर्ड, 18.1.2014)

बिहार कर रहा नई खरीद नीति तैयार

बिहार सरकार अपनी नई खरीद नीति को अंतिम रूप देने में जुटी है। इसके तहत उसने अपनी जरूरत का कम से कम 10 फीसदी माल स्थानीय निर्माताओं से ही खरीदने का फैसला लिया है। हालांकि, राज्य के कारोबारी इससे खुश नहीं हैं। वे राज्य सरकार से 100 फीसदी सामान स्थानीय निर्माताओं से ही खदीदने की मांग कर रहे हैं।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैडर्ड, 14.1.2014)

बिहार में निवेश बढ़ाने के लिए नई नीति

बिहार सरकार अब राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को अतिरिक्त छूट देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने इस उद्योग से संबंधित अपनी नीति में फेरबदल करने का फैसला लिया है। इसके तहत राज्य सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की मौजूदा इकाइयों को विस्तार के लिए भी रियायतें देने का फैसला लिया है।

बिहार सरकार को बीते 7 साल में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े 200 से ज्यादा निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इनमें से राज्य में 100 से ज्यादा इकाइयां उत्पादन करने लगी हैं, जिनमें ब्रिटानिया, पारले और अनमोल समूह की इकाइयां भी हैं। इस क्षेत्र में बिहार में अब तक करीब 1,000 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है।

(विस्तृतः बिजनसे स्टैंडर्ड, 16.1.2014)

बिहार में होगा 200 करोड़ का निवेश

बिहार में विकास की गूंज विदेशों तक पहुंच चुकी है। यूरोपियन देश नीदरलैंड की जेनेसिक्स नामक कंपनी बिहार में निवेश को आगे आना चाह रही है। कंपनी पहले चरण में बिहार में 200 करोड़ का निवेश करेगी। अमेरिका सहित 88 देशों में अपनी सेवा देने वाली जेनेसिक्स कंपनी मूल रूप से फाइवर ऑप्टिक्स केबल, ओएलटी, इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस, राउटर, इंटरनेट से जुड़े उत्पाद सहित हार्डवेयर बनाने की फैक्ट्री बिहार में लगाना चाहती है। **(विस्तृतः दैनिक जागरण, 17.1.2014)**

उखड़ने लगे फुटवियर उद्योग के पांव

100 यूनिटें पटना सिटी का हो गईं बंद • 800 यूनिटें संचालित हैं इस सिटी क्षेत्र में

पटना सिटी की लगभग 800 फुटवियर इकाइयों में से 100 से ज्यादा बंद हो गई हैं। शेष में भी चार से पांच माह ही काम हो पा रहा है। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) ने इसे खड़ा करने के लिए किया तो बहुत कुछ लेकिन नतीजा मायूस करने वाला है।

उम्मीदों को लगे थे पंख : परंपरागत फुटवियर उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के मकसद से वर्ष 2008 में पटना सिटी (नून का चौराहा) में एमएसएमई ने कलस्टर योजना शुरू किया। 81 उद्यमियों को ट्रेनिंग दी गई।

सरकारी खर्च पर आगरा स्थित केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान भेजा गया। लौटने के बाद पीएनबी से कोलेटरल गारंटी रहित 11 करोड़ रुपये का लोन दिलाया गया। उत्पादन शुरू हुआ। विभाग उद्यमियों को व्यापार मेलों में भी ले गया। चल निकला कारोबार।

"अब भी यह उद्योग खड़ा हो सकता है। हमने सरकार से मांग की है कि वैट से राहत दी जाए, ऋण की ब्याज दर कम की जाए, बुनकरों की तरह सब्सिडी मिले और पटना के प्रमुख बाजारों में हमें स्टाल लगाने की अनुमति मिले। लेकिन मदद नहीं मिल रही। **–नौशाद इलाही,** अध्यक्ष, पटना सिटी फुटवियर एसोसिएशन

"यहां समान सुविधा केंद्र स्थापित होना था। ऐसे केंद्र के लिए भारत सरकार 90 फीसद खर्च वहन करती है। सिर्फ 10 फीसद स्थानीय उद्यमी देते हैं। वे अपना रा मेटेरियल लेकर आते हैं और रख-रखाव खर्च देकर जूता चप्पल का निर्माण करते हैं। आपसी खींचतान से यह योजना भी अब अघर में पड़ गई है।"
– संजीव आजाद, कलस्टर अधिकारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

(विस्तृतः दैनिक जागरण, 23.1.2014)

GOVT. INVITES EoI FOR MONITORING AGENCY

The industries department has decided to appoint a project monitoring agency (PMA) to assist the state-level project assessment and monitoring committee (PAMC) that has been tasked with appraising proposals for setting up private industrial areas in the state. This, in turn, would qualify them for government subsidy.

(Details : Hindustan Times 20.1.2014)

बिहार में बनेंगे दो नए उद्योग समूह

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग बिहार में दो नए उद्योग समूह बनाने जा रहा है। इसके लिए सर्वे रिपोर्ट बनाने को स्वीकृति मिल गई है।

विभाग के उप निदेशक ए. के. कर्ण ने बताया कि बक्सर में बड़े पैमाने पर राइस मिल हैं। इसीलिए इसका चयन हुआ है। कृषि यंत्र निर्माण के लिए नूरसराय को बेहतर समझा गया है। यहां पहले से भी यह उद्योग हैं पर परंपरागत ढांचे में। सर्वे रिपोर्ट बनाने के लिए स्वीकृति मिल गई है। हालांकि अभी फंड आवंटित नहीं हुआ है। आवंटन मिलते ही इन दोनों इलाकों का सर्वे किया जाएगा और मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। सर्वे रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद अन्य प्रक्रिया पूरी कर दोनों जगहों पर कलस्टर बनाया जाएगा। कलस्टर में शमिल कर किसानों व नव उद्यमियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। **(साभार : दैनिक जागरण, 16.1.2014)**

4 उद्योग समूहों के अब बहुरेंगे दिन

बिहार के चार उद्योग समूहों (कलस्टर) का चयन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने किया है। इनके लिए साफ्ट इंटरवेंशन की पहल हुई है। उम्मीद है कि इसके जरिए इन समूहों को नई गति मिल सकेगी।

क्या होता है साफ्ट इंटरवेंशन : इसके तहत उद्यमियों को आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। कौशल विकास के लिए समान प्रकृति वाले बड़े उद्योगों का भ्रमण कराया जाता है जिससे वे नई बातें सीख सकें। साथ ही मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया जाता है।

किनका हुआ चयन : साफ्ट इंटरवेंशन के लिए गया का अगरबत्ती कलस्टर, नालंदा स्थित मोरा तालाब का शू एंड चप्पल कलस्टर, मुजफ्फरपुर का लेदर शू एंड चप्पल कलस्टर, मुजफ्फरपुर के रामपुर बखरी स्थित लहठी कलस्टर।

बदलेगी तस्वीर : पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) के कलस्टर अधिकारी संजीव आजाद ने बताया कि कलस्टर योजना के तहत इनका चयन हुआ है अब इनकी तरवीर बदल जाएगी। साफ्ट इंटरवेंशन के जरिए ये नई तकनीक से जुड़ेंगे। इनके कारोबार का दायरा भी बढ़ेगा। इससे पूर्व बक्सर के राइस मिल और नालंदा के नूरसराय स्थित कलस्ट का डायगनास्टिक स्टडी रिपोर्ट के लिए चयन भी एमएसएमई की चुका है। इनका प्राथमिक सर्वे किया जाएगा। हालांकि अभी फंड आवंटित नहीं हुआ है।

(साभार : दैनिक जागरण, 22.1.2014)

अब आसान नहीं होगा परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण

परियोजनाएं चाहे सरकारी हों या फिर निजी, अब इनके लिए आसान नहीं होगा जमीन का इंतजाम करना। भूमि अधिग्रहण का केन्द्रीय कानून इस महीने अस्तित्व में आ गया है। जमीन अधिग्रहण से जुड़े एक सौ बीस वर्ष पुराने कानून के खत्म होने के बाद और इस नए कानून के अस्तित्व में आने से परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण मुश्किल होगा। परियोजनाएं इतनी मंहगी हो जाएगी कि उनके लिए राशि का प्रबंध कठिन हो जाएगा।

पीपीपी में सबसे ज्यादा दिक्कत : पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली परियोजनओं की मुश्किलें अधिक बढ़ेगी। नए जमीन अधिग्रहण कानून में यह प्रावधान किया गया है कि पीपीपी मोड के लिए जमीन से संबंधित 80 फीसदी लोगों की स्वीकृति अनिवार्य होगी । यानी परियोजना की परिधि में आ रही जमीन के 80 प्रतिशत लोग जब जमीन देने के लिए राजी होंगे तभी जमीन ले पाना संभव होगा। अन्य श्रेणी के प्रोजेक्ट के लिए यह मानदंड 70 प्रतिशत का होगा। इसे अनिवार्य किया गया है।

बढ़ेगी परेशानी : • इसी महीने लागू हुआ जमीन अधिग्रहण का नया कानून • अटक सकती हैं पीपीपी मोड में ली गयी सड़क परियोजनाएं • ग्रामीण क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण के लिए देना होगा बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा • शहरी क्षेत्र में बाजार मूल्य का दोगुना मुआवजे का भुगतान करना पड़ेगा • परियोजना की परिधि में आ रही जमीन से जुड़े 80 प्रतिशत लोगों की सहमति जरूरी • जमीन अधिग्रहण से जुड़ा 120 वर्ष पुराना कानून समाप्त।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 25.1.2014)

पहले जमीन तलाशें फिर उद्योग का प्रस्ताव लाएं

• औद्योगिक नीति में बदलाव करेगी राज्य सरकार • 20 प्रतिशत पूंजी का पहले इंतजाम करना होगा • सरल की जाएगी अनुदान भुगतान की प्रक्रिया

पहले जमीन दिखाओं फिर उद्योग का प्रस्ताव लाओ। राज्य सरकार अपनी वर्तमान औद्योगिक नीति में बदलाव करेगा। नई व्यवस्था में जमीन के साथ उद्योग लगाने के लिए पैसे की व्यवस्था पहले करनी पड़ सकती है। नए उद्योगों को बिजली में मिलने वाली छूट में भी बदलाव पर विचार चल रहा है। साथ ही वैट का रीइंबर्समेंट और अनुदान भुगतान की प्रक्रिया सरल की जाएगी। प्रस्ताव तो तैयार है, लेकिन सभी पक्षों से बात के बाद ही सरकार इस मामले में कोई कदम उठाएगी।

राज्य सरकार का मानना है कि औद्योगीकरण को बढ़ावा देने में सबसे बड़ी बाधा जमीन है। उद्योंगों के प्रस्तवों को राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एसआईपीबी) से मंजूरी तो मिल जाती है लेकिन उन उद्योगों के लिए जमीन मिलना कठिन हो जाता है। नतीजा यह होता है कि औद्योगीकरण की कागजी और जमीनी सच्चाई में काफी अंतर होता है। संचिकाओं में जितने प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, उससे आधी योजनाएं भी जमीन पर नहीं उतर पर नहीं उतर पातीं। लिहाजा सरकार ने अब अपनी नीति में बदलाव करने को विचार किया है। इसके लिए औद्योगिक संगठनों से भी विचार किया जाना है।

निवेश प्रस्तावों का सच : • **1015** प्रस्ताव मंजूर हैं एसआईपीबी से • **782** में एक कदम भी काम आगे नहीं बढ़ा • **3.01** लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले • **5021** करोड़ का ही निवेश हुआ।

"औद्योगिक नीति की समीक्षा के लिए सरकार के साथ उद्योगपतियों की बैठक हो चुकी है। बैठक में कई बिन्दुओं पर चर्चा हुई। औद्योगिक संगठनों ने भी अपनी ओर से मांगी रखी है। अभी पूरे मामले पर विचार चल रहा है।"

–पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 15.1.2014)

RATE REVISION FOR INDUSTRY LAND

The cost of "acquired land" is set to increase across the state.

Sources in the Bihar Industrial Area Development Authority (Biada) told The Tele- graph that the cost of the land which had been acquired by the state government for in dustrial purposes could go up.

Entrepreneurs wishing to take land from Biada will also have to follow some new rules with the authority finalising the same at present. A formal notification will be issued soon regarding this.

(Details : The Telegraph, 16.1.2014)

बिहार के हर घर में चार साल में बिजली

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले चार साल में बिहार के हर घर में बिजली पहुंचा दी जाएगी इसके लिए हर अनुमंडल में एक पावर ग्रिड और प्रखंडों में एक पावर सब स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है। अगले साल से सूबे में चार हजार मेगावाट बिजली की खपत करने का लक्ष्य है। मैं प्रतिबद्ध हूँ। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि बिजली की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो अगले विधानसभ चुनाव में वोट मांगने नहीं आऊंगा। सरकार शिक्षा के बाद बिजली पर सर्वाधिक राशि खर्च कर रही है।

उन्होंने उत्तर बिहार में गंडक नदी पर एक महासेतु बनाने की घोषणा की। साहेबगंज के बंगराघाट पर 508 करोड़ की लागत से डेढ़ किलोमीटर लंबे महासेतु का निर्माण होगा। इसके बन जाने से मुजफ्फरपुर से गोपालगंज और सारण की दूरी कम हो जाएगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 18.1.2014)

सरकारी मदद से चमकेगी बिजली

बिजली कंपनियों को घाटे से निकालने के लिए कवायद में जुटी बिहार सरकार

बिहार सरकार ने अपनी बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से निकालने की कवायद में जुट गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने वितरण के साथ-साथ उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र पर ध्यान देने का फैसला लिया है। राज्य सरकार के मुताबिक उसकी कोशिश अगले साल से अपनी वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने की है।

राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बताया, 'बिजली क्षेत्र पर सरकार का पूरा ध्यान है और इसमें सुधार की हरसंभव कोशिश की जा रही है। इसके नतीजे भी अब दिखाई देने लगे हैं। 2012 में जहां हमारे पास महज 1100-1200 मेगावॉट बिजली होती थी, वहीं आज राज्य को हर दिन 2300 मेगावॉट बिजली मिल रही है। साथ ही राज्य में अब पारेषण ढांचे में भी काफी सुधार हुआ है। आज की तारीख में हमारे पास करीब 3000 मेगावॉट बिजली पारेषण की क्षमता मौजूद है। इसके अलावा, वितरण कंपनियों ने अपने वितरण ढांचे में भी काफी सुधार किया है।' सरकार बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा दी जा सके।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 17.1.2014)

बिजली बोर्ड के 375 करोड़ रुपए लापता

बिहार बिजली बोर्ड यानी पावर होल्डिंग कंपनी ने वर्ष 2011-12 में अपने उपभोक्तओं पर 375 करोड़ 66 लाख 15 हजार 696 रूपए का फ्यूल सरचार्ज किया। ये रुपए कहा हैं, इसका कोई अता-पता नहीं है। कंपनी के पास यह रिकार्ड ही नहीं है कि राजस्व वसूली में फ्यूल सरचार्ज के रूप में कितनी राशि आई। उपभोक्ताओं से बिजली बिल के साथ ही फ्यूल सरचार्ज वसूला जाता है। ऊर्जा सचिव संदीप पौंड्रिक को भी रुपए 'लापता' होने की सूचना मिली है। पौंड्रिक बोले– गंभीर मामला है। तत्काल इसकी जांच कराई जाएगी।

क्या है फ्यूल सरचार्ज : फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट यानी ईंधन व ऊर्जा खरीद लागत का समायोजन। हाल के दिनों में कोयले की कमी के चलते एनटीपीसी ने विदेशों से कोयले मंगाए हैं। इनकी कीमत देशी कोयले की तुलना में कई गुना अधिक है। इससे बिजली उत्पादन पर लागत बढ़ जा रही है। बढ़ी हुई लागत की वसूली एनटीपीसी उन राज्यों से करती है। जिन्हें वह बिजली की आपूर्ति कर रही है। शुल्क वसूली के बाद राज्य बिजली बोर्ड (पावर होल्डिंग कंपनी) रेगुलेटरी कमीशन को उस शुल्क की वसूली आम उपभोक्ताओं से करने का आवेदन देता है। कमीशन बोर्ड के दावों की अपने स्तर से जांच कर उन्हें शुल्क बढ़ाने की अनुमति देता है। कमीशन द्वारा जितनी राशि वसूलने का आदेश दिया जाता है, वही उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज के रूप में वसूला जाता है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 20.1.2014)

एक साल में बनेंगे पांच नए पावर सबस्टेशन, अंडरग्राउंड होंगे केबल

अगले महीने इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा, एक साल में पूरा करने का लक्ष्य

अगले साल फरवरी तक राजधानी की बिजली सप्लाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। इस पर 505 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले महीने से इस पर काम शुरू हो जाएगा। एजेंसी को एक साल में काम पूरा करना है।

इसके लिए पांच जगहों पर पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे। ये दानापुर, न्यू कैपिटल और पटना सिटी डिविजन में बनेंगे। पहली बार पटना में बिजली सप्लाई को लेकर इतने बड़े पैमाने पर कोई योजना बनाई गई है। इसके लिए जगहों की पहचान कर ली गई है। वहीं, शहर में पहले 33 केवी के ट्रांसमिशन सिस्टम को अंडरग्राउंड किया जाएगा, जरूरत के मुताबिक 11 केवी का सिस्टम भी अंडरग्राउंड होगा।

पेसू के जीएम एसएसपी श्रीवास्तव ने कहा कि तीन वर्ष पहले शहर की बिजली सप्लाई में बेहतरी लाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई थी। राज्य सरकार की डीपीआर को केंद्र की सहमति मिलने के बाद निजी एजेंसी का चयन हो गया है।

(विस्तृत: दैनिक भास्कर, 20.1.2014)

जितनी बिजली खपत उतना ही वसूलें बिल

एक अप्रैल से बिजली टैरिफ क्या हो, इसको लेकर राज्य सलाहकार समिति की बैठक हुई। बिहार विद्युत विनियामक आयोग (रेगुलेटरी कमीशन) के अध्यक्ष यूएन पंजियार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई संगठनों ने यह मांग उठाई कि जितनी बिजली खपत हो उतना ही बिल वसूला जाए। फिक्स चार्ज खत्म हो।

बिजली कंपनी ने भी 2014-15 के लिए दिए गए टैरिफ पर राय रखी। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी और नार्थ व साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने अलग-अलग टैरिफ दिया है। कंपनियों की दलील थी कि बिजली खरीद का रेट एक है तो खपत करने वालों से अलग-अलग रेट क्यों लिया जाता है। खपत करने वाले एक ही रेट में भुगतान करें। रेलवे के प्रतिनिधियों ने कहा कि काट्रैक्ट के अनुसार बिजली बिल वसूलने के बजाए खपत के अनुसार वसूली की जाए। हालांकि कंपनी ने कहा कि काट्रैक्ट के अनुसार ही बिल वसूलेगी। **बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रतिनिधि ने हर महीने फिक्स चार्ज वसूलने का विरोध किया। संगठन ने खपत के अनुसार बिल वसूलने की मांग रखी।** इनर्जी एक्सचेंज से आए प्रतिनिधि ने टैरिफ पर सवाल उठाए।

टैरिफ पर निर्णय : बिजली कंपनी के प्रस्ताव पर रेगुलेटरी कमीशन आम लोगों के अलावा बिजली कंपनी व सभी संगठनों के विचार ले रही है। प्रमंडलवार जनसुनवाई के बाद अंतिम सुनवाई पटना में होगी। 15 मार्च तक रेगुलेटरी कमीशन तय कर लेगी कि एक अप्रैल से लागू होने वाला नया टैरिफ कितना हो।

क्या है फिक्स चार्ज : रेलवे या औद्योगिक कनेक्शन में कंपनी की ओर से एक तयशुदा राशि हर महीने वसूली जाती है, जिसे फिक्सड चार्ज या मिनिमम मंथली चार्ज (एमएमसी) कहते हैं। कनेक्शन लेने वाली यूनिट भले ही कम बिजली खपत करे, लेकिन जिस यूनिट पर एमएमसी तय है, उतना बिल देना ही होता है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 24.1.2014)

मिनिमम चार्ज घटा कर मिलने लगा बिल

राजधानीवासियों के लिए खुशखबरी। पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान (पेसू) ने मिनिमम चार्ज जोड़ कर बिजली बिल जारी करने पर रोक लगा दिया है। बिना मिनिमम चार्ज वालें बिल उपभोक्ताओं को मिलने लगे हैं। दैनिक जागण ने उपभोक्तओं की इस पीड़ा को सबसे पहले प्राथमिकता के साथ उठाया था। सात जनवरी के अंक में 'साढ़े तीन लाख उपभोक्ताओं को झटका' शीर्षक से खबर प्रकाशित गई। 8 जनवरी को राजधानी में जगह-जगह इसका विरोघ शुरू हुआ। जिसके बाद विद्युत कंपनी हरकत में आई और मिनिमम राशि वसूलने की प्राक्रिया बंद हो गई। पेसू अभियंता जमा हुए मिनिमम चार्च की राशि को अगले बिल में एडजस्ट करने की बात कह रहे हैं। बताते चलें कि पेसू प्रबंधन मिनिमम चार्ज उपभोक्ताओं पर लादने का प्रयास कर रहा था। बिल हर महीने आना चाहिए, लेकिन किसी को 10 तो किसी को साल में आठ ही बिल मिल रहा था। पेसू ने माह को आधार बनाकर मिनिमम चार्ज की राशि विपत्र के साथ जारी करना शुरू कर दिया।

(साभार : दैनिक जागरण, 21.1.2014)

सौ की आबादी तक पहुंचेगी बिजली

दो साल में सौ की आबादी वाले टोले में रहने वालों को बिजली की सुविधा उपलब्ध होगी। 11 जिले में पहले से इस पर काम चल रहा है। शेष 27 जिले में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए फरवरी तक ठेका कर लिया जाएगा। 24 महीने के भीतर इस योजना पर काम पूरा हुआ, तो 2015 तक लोगों को बिजली मिल जाएगी।

बिजली पहुंचाने पर जिलावार खर्च (करोड़ में)

222.91	–	बेगूसराय	166.59	–	सहरसा	264.29	–	भागलपुर
238.88	–	दरभंगा	315.30	–	समस्तीपुर	182.11	–	बक्सर
328.33	–	गोपालगंज	412.95	–	सारण	188.57	–	जमुई
178.49	–	कटिहार	51.20	–	शिवहर	93.70	–	जहानाबाद
119.62	–	खगड़िया	179.85	–	सीतामढ़ी	165.20	–	कैमूर
178.41	–	मधेपुरा	243.30	–	सुपौल	101.44	–	लखीसराय
271.15	–	मधुबनी	114.41	–	वैशाली	118.01	–	मुंगेर
147.36	–	मुजफ्फरपुर	54.37	–	अरवल	26.20	–	शेखपुरा
347.02	–	प.चंपारण	220.14	–	औरंगाबाद			

(साभार- हिन्दुस्तान, 28.1.2014)

भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

पटना. निवि संसा./1201/01.01.99/2013-14 21 जनवरी 2014

अध्यक्ष
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज
खेम चन्द चौधरी मार्ग
पटना- 800001

महोदय,

लिखावट या निशान वाले नोटों के उपयोगिता पर स्पष्टीकरण

कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 19 दिसंबर 2013 के अपने पत्र सं. 846 का संदर्भ लें।

2. इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति आपके संदर्भ हेतु इस पत्र के पास संलग्न है।

भवदीय
(आ. के. हंसदा)
उप महाप्रबंधक

भारतीय रिजर्व बैंक (RESERVE BANK OF INDIA)

संचार विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई 400001

31 December 2013

RBI's clarification on Scribbling on Banknotes

In the wake of rumours circulating in the market that from January 1,2014, banks will not accept banknotes with anything written on them, the Reserve Bank has urged members of public not to fall prey to such rumours and to use their banknotes without any fear. The Reserve Bank of India has clarified it has NOT issued any such instructions.

It has further clarified that it had issued instructions on August 14, 2013 only to banks advising them to instruct their staff not to scribble or write on the body of the banknotes since it was observed that the bank officials themselves were in the habit of writing on banknotes which went against the Reserve Bank's Clean Note Policy.

Reiterating that writing or scribbling on banknotes works against its Clean Note Policy, the Reserve Bank has also sought co-operation from all members of public, institutions and others in keeping the banknotes clean by not writing/scribbling anything on them.

Press Release : 2013-2014/1311

Alpana Killawala
Principal Chief General Manage

नौ साल पहले जारी नोट मार्च बाद बैंकों को लौटाने होंगे

• सभी बैंकों को पुराने नोट के बदले नया नोट देना होगा • लेकिन 2005 से पहले जारी सभी नोट वैध बने रहेंगे • 500 और 1000 रूपए के दस से अधिक नोट बदलने के लिए आईडी जरूरी होगी

31 मार्च के बाद 2005 से पहले का छपा नोट देश के सभी बैंक वापस लेंगे। रिजर्व बैंक ने इसके आदेश जारी कर दिए। हालांकि इसकी वजह नहीं बताई। लेकिन लेकिन माना जा रहा है कि आरबीआई ने यह कदम कालेधन और जाली नोट पर रोक लगाने के लिए उठाया है।

आरबीआई के आदेश पर एक अप्रैल से अमल लागू हो जाएगा। इसके बाद लोग अपने पुराने नोट किसी भी बैंक में जाकर बदल सकेंगे। रिजर्व बैंक ने बयान जारी कर कहा है कि आरबीआई 31 मार्च के बाद 2005 से पहले जारी सभी नोट वापस लेगा। इसके साथ ये भी साफ कर दिया है कि 2005 से पहले जारी सभी नोट वैध बने रहेंगे। यानी 31 मार्च के बाद भी आपके पास नौ साल या इससे अधिक पुराना नोट है तो वह बाजार, बैंक या कहीं और वैसे ही मान्य होगा जैसे आज हो रहा है। ये काम बैंकों का होगा कि उसके पास पहुंचने वाले पुराने नोट फिर से जारी न हों।

एक जुलाई के बाद आईडी की जरूरत : आरबीआई के मुताबिक 30 जून तक कोई भी व्यक्ति कितना भी नोट बैंक में ले जाकर बदल सकता है। लेकिन एक जुलाई के बाद नियम सख्त हो जाएगा। उसके बाद 500 और एक हजार के 10 से अधिक नोट को बदलने के लिए बैंक के सामने पहचान पत्र और आवास प्रमाण पत्र की कॉपी लगानी होगी। आरबीआई के मुताबिक जिन लोगों का बैंक एकाउंट नहीं है उन्हें भी पहचान पत्र और आवास प्रमाण पत्र के साथ बैंक जाना होगा।

(साभार : दैनिक भास्कर, 23.1.2014)

करायें केवाइसी, नहीं तो बैंक खाता बंद

एसबीआइ ने ग्राहकों को दी सूचना

यदि आप एसबीआइ के ग्राहक हैं और आपने खाता का केवाइसी नहीं कराया है, तो शीघ्र ही संबंधित शाखा में केवाइसी करा ले वरना बैंक खाता बंद कर्ज दिया जायेगा। बैंक ने ग्राहकों से कहा है कि जिन खातों में जमा शेष 500 रुपये और उससे कम है। 24 माह में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसे ग्राहक शीघ्र केवीइसी करा लें। ऐसे ग्राहकों को पहचान व पते का प्रमाण संबंधी दस्तावेज और हाल का खींचा हुआ फोटो 28 फरवरी से पूर्व देने को कहा गया है। केवाइसी नहीं कराने पर ऐसे खातों को बिना किसी नोटिस के बंद कर दिया जायेगा।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 16.1.2014)

साख-जमा अनुपात बढ़ाए रिजर्व बैंक

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन ने 21.01.2014 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भेंट की। लगभग 45 मिनटों तक चली इस मुलाकात में मुखमंत्री ने श्री राजन से अनुरोध किया कि बिहार में लोन-डिपोजिट अनुपात बढ़ाने की दिशा में रिजर्व बैंक आफ इंडिया कारगर पहल करे। वित्तीय समावेशन, बैंकों की शाखाएं तथा शिक्षा लोन के प्रवाह को बढ़ाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

आरबीआई गवर्नर श्री राजन ने कहा कि प्राथमिक, माध्यमिक उच्च व तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में गुणत्मक सुधार दिख रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा भविष्य में चलायी जाने वाली योजनाओं पर भी विमर्श किया। सूबे में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाने पर भी चर्चा हुई। इस दौरान आरबीआई के बिहार-झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक एम. के. वर्मा, आरबीआई गवर्नर के कार्यपालक सहायक विवेक अग्रवालव वित्त आयुक्त (संसाधन) संजीव हंस भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में बैंकों का हाल यह है कि वे आनुपातिक ढंग से लोन नहीं बांट रहे हैं। जरूरत है कि वे बिहार में कृषि आधारित उद्योगों व खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करें। राज्य की औद्योगिक नीति में उद्योगों को 35 प्रतिशत तक की सहायता का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा भी उठाया। मालूम हो कि रघुराम राजन कमेटी ने बिहार को देश के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में शामिल करार देते हुए विशेष सहायता देने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो यहां निवेश करने वालों को केंद्रीय करों में छूट मिलेगी। उद्योग-धंधों का जाल बिछ सकता है। आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने श्री राजन को बालिका साइकिल योजना की सफलता के बारे में भी बताया। रघुराम राजन ने इसमें काफी दिलचस्पी दिखायी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 22.1.2014)**

बिहार राज्य वित्त निगम देगा उद्योगों को 30 फीसदी लोन

बैंकों के साथ मिलकर संयुक्त फाइनेंसिंग के प्रस्ताव पर हो रहा विचार

लौटगा बिहार राज्य वित्त निगम का गौरव। वर्षों से पहचान के संकट से जूझते निगम ने उद्यमियों की सहायता के लिए नई योजना बनाई है। निगम ने नया उद्योग लगाने के लिए कुल प्रोजेक्ट का 30 प्रतिशत भाग लोन के रूप में देने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी बैंकों का प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही निगम बैंको के साथ मिलकर उद्यमियों की 'ज्वाइंट फाइनेंसिंग' करेगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 26.1.2014)

बिजली व्यापारियों को हर साल 5 करोड़ का घाटा

वैट की विसंगतियों को अभी दूर नहीं कर पाया है वाणिज्य कर विभाग

राज्य में वैट लागू हुए 8 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन वाणिज्य कर विभाग वैट विसंगातियों को अभी दूर नहीं कर पाया है। आज भी वाणिज्य कर विभाग इलेक्ट्रिक सामान पर 8 प्रतिशत इंट्री टैक्स लेता है, जबकि इलेक्ट्रिक सामान पर वैट दर 5 प्रतिशत है। तीन फीसदी घाटे की स्थिति में बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस गलती को सुधारा जाए।

कारोबार समेटने के मूड में कई कंपनियां : एसेसिएशन के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल ने बताया कि अब तो स्थिति यह हो गई है कि राज्य में इंट्री टैक्स अधिक होने के कारण कई कंपनियां बिहार में काम करने से कतरानें लगी हैं। उनका कहना है कि सरकार या तो इंट्री टैक्स वैट से कम करे या फिर वैट के बराबर। ऐसा नहीं हुआ तो 3 प्रतिशत घाटा सहकर काम करना संभव नहीं है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 12.1.2014)**

फिर बढ़ेगा तंबाकू पर टैक्स

राज्य सरकार ने तंबाकू पर लग रहे टैक्स को बढ़ाने की दिशा में पहल की है। स्वास्थ्य सचिव ने इसके लिए एक प्रस्ताव वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेजा है। यह तर्क देते हुए कि टैक्स बढ़ाए जाने से तंबाकू सेवन में कमी आएगी, 60-70 प्रतिशत टैक्स लगाने की कार्रवाई आरंभ की गई है। पिछले साल ही सूबे में सिगरेट पर लगने वाले टैक्स को 20 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है, जबकि बीड़ी पर पहली बार 13.5 फीसद का टैक्स लगा है। इससे पहले बीड़ी पर कोई टैक्स नहीं था।

टैक्स की तुलनात्मक स्थिति (प्रतिशत में)

राज्य	सिगरटे पर टैक्स	बीड़ी पर टैक्स
राजस्थान	50	50
उत्तर प्रदेश	50	50
जम्मू कश्मीर	30	30
उड़ीसा	25	10
केरल	22	22
असम	20	20
आंध्र प्रदेश	20	00
तमिलनाडु	20	20
बिहार	30	13.5

(साभार : दैनिक जगरण, 21.1.2014)

28 फरवरी तक जमा करें पेशाकर, अन्यथा पेनाल्टी

वाणिज्य कर विभाग ने पेशाकर जमा करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी नियत की है। अगर आपकी सालाना आमदनी या वेतन 3 लाख से अधिक है और अभी तक आपने पेशाकर जमा नहीं किया है, तो घर में बैठकर समय बर्बाद न करें। अविलंब क्षेत्र के वाणिज्य कर अंचल कार्यालय में जाएं और पेशाकर में रजिस्ट्रेशन कराकर टैक्स जमा कर दें। अन्यथा 28 फरवरी के बाद पेनाल्टी के साथ पेशाकर जमा करना होगा। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान 11.1.2014)**

टारगेट के चक्कर में पिस रहे व्यापारी

वाणिज्य कर विभाग के प्रधान सचिव एनके सिन्हा ने तमाम अंचल प्रभारियों को हरहाल में इस साल का टारगेट पूरा करने का लक्ष्य दिया है। इस निर्देश के बाद अंचल प्रभारी टारगेट को ले सचेत हो गए हैं। पर कुछ अधिकारियों की अति सक्रियता का खामियाजा व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है।

उन्हें अपने पर लगाए गए टैक्स के खिलाफ अपील में जाने का वक्त नहीं मिल रहा और उनका बैंक एकाउंट अटैच कर दिया जा रहा है। वित्त विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए वाणिज्य कर विभाग के 13645 करोड़ का लक्ष्य दिया है। विभाग ने अपने लिए 16275 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है। टारगेट बड़ा है। ग्रोथ रेट 25 फीसद से ऊपर बनाए रखने का भी दबाव है। पिछले दिनों सूबे के एक बैटरी डीलर का अधिकारियों ने कर निधारण किया। उस पर मोटा टैक्स बकाया दिखाया गया। जब तक उक्त व्यापारी आदेश की कॉपी निकाल वकील से इस मुद्दे पर सलाह लेता, अधिकारियों ने बैंक पर दबाव बना उस पर लगाया गया टैक्स उसके खाते से वसूल लिया। **(साभार : दैनिक जागरण, 24.1.2014)**

आयकर खत्म किया जाए

देश में नए कर ढांचे को गंभीरता से लागू किए जाने से टैक्स रिफंड, कर भुगतान और इससे जुड़ीं अन्य समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बीटीटी नहीं तो कम से कम आयकर दरों में खासी कटौती तो की ही जानी चाहिए। आयकर कानून काफी सरल होना चाहिए।

देश की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के लिए समय आ गया है कि वे आयकर को खत्म करने के लिए नए तरीके और विचारों के बारे में परस्पर सर्वसम्मति बनाएं। न केवल आयकर बल्कि विभिन्न तरह के करीब 40 छोटे-बड़े करों से भी छुटकारा पाए जाने की जरूरत है ताकि भारत के नागरिक एक बेहतर जीवन जी सकें। ऐसा जिसमें न कोई परेशानी हो, न कोई तनाव हो और न ही भ्रष्टाचार से जुड़ीं कोई समस्याएं हों। अलबत्ता, इससे पहले कि हम इस विषय में गहराई से सोचने लगें; जरूरी है कि इस सवाल का जवाब जानना कि किसी कर के संग्रहण के बिना सरकार कैसे चलेगी? इसका सीधा-सा समाधान बैंक लेन-देन कर (बैंक ट्रांसजेक्शन टैक्स-बीटीटी)को सभी बैंक जमाओं को लेकर किए जाने वाले बैंक लेन-देनों पर लागू किए जाने में मिल सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि देश में सभी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करों के उन्मूलन के पश्चात बीटीटी लागू किए जाने की सूरत में समग्र कर संग्रहण अभी सभी करों के संग्रहण से प्राप्त कुल धनराशि से कहीं ज्यादा होगा। मेरा तो यहां तक कहना है कि इससे देश में न केवल अन्य एशियाई देशों बल्कि विश्व के अन्य तमाम देशों से भी निवेश का प्रवाह बढ़ेगा। फलस्वरूप भारतीय नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ेगी ही, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भी इजाफा होगा। (उक्त विचार सुभाष लखोटिया, कर-परामर्शदाता के हैं।)

(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 20.1.2014)

गेहूं उत्पादन में बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार

केंद्र सरकार ने वर्ष 2012-13 में गेहूं के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए बिहार का चयन कृषि कर्मण पुरकार के लिए किया है। कृषि मंत्री शरद पवार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के हाथों पुरस्कार ग्रहण करने का अनुरोध किया है। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने राज्य सरकार को यह सूचना दी है। इसके मुताबिक कृषि कर्मण पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा वर्ल्ड कांग्रेस आन एग्रो फोरेस्ट्री 2014 के उद्घाटन के दिन 10 फरवरी को दिया जाएगा। इसके साथ ही गेहूं में सबसे अधिक उत्पादकता प्राप्त करने वाले एक पुरुष व एक महिला किसान को एक-एक लाख रुपया व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। गौरतलब है कि 2011-12 में धान के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए राष्ट्रपति ने 15 जनवरी 2013 को राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया था। इसके तहत एक करोड़ रुपये की राशि व प्रशस्ति पत्र मिला था। कृषि विभाग के अनुसार कृषि रोडमैप लागू होने के बाद राज्य में फसल उत्पादन में काफी वृद्धि हो रही है। **(साभार : दैनिक जागरण, 17.1.2014)**

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कड़े प्रावधानों का विरोध

व्यवसायियों ने की संशोधन की मांग

सूबे के खाद्यान्न व्यवसायियों ने केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 का विरोध किया है। व्यवसायियों का कहना है कि इस अधिनियम से अधिकारी व्यवसायियों का भयादोहन करेंगे और इसके कड़े प्रावधानों से व्यवसाय बंद करने की नौबत आ जाएगी। प्रावधानों का विरोध करते हुए संशोधन की मांग की है। बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के अध्यक्ष व पूर्व विधान पार्षद गंगा प्रसाद ने पत्रकार वार्ता में कहा कि यह अधिनियम काला कानून के समान है। केंद्र सरकार के इस अधिनियम में राज्य सरकार को कुछ संशोधन करने का अधिकार है। राज्य सरकार आम उपभोक्ताओं और व्यवसायियों के हित में इसमें संशोधन करे। संघ का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को लेकर मिला था, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला। उन्होंने कहा कि अधिनियम के कई प्रावधानों के कारण छोटे स्तर के खाद्यान्न व्यवासायी संकट में पड़ जाएंगे। विदेशी बाजार को बढावा देने वाले इस अधिनियम के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। 4 फरवरी 2014 तक लाइसेंस नहीं लेने या बिना लाइसेंस के कारोबार करने पर अधिकतम पांच लाख रुपए जुर्माना और छह महीने की सजा का प्रावधान भी कारोबारियों को हताश कर रहा है। लाइसेंस देने के नाम पर स्थल निरीक्षण में अधिकारी भयादोहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिनियम अंग्रेजी में लिखा है, जिसका हिन्दी अनुवाद करने की जरूरत है।

संघ के महामंत्री बलराम प्रसाद ने कहा कि लाइसेंस लेने के प्रावधानों के पालन में व्यवसायियों को भारी कठिनाइयां हो रही हैं। अधिनियम में संशोधन कर इसे सरल बनाया जाए।

लाइसेंस के ये हैं मुख्य प्रावधान : • खाद्यान्न विक्रेताओं के लिए 2 हजार सालाना शुल्क • 1 मीट्रिक टन से कम उत्पादन पर 3 हजार सालाना • 1 मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन पर 5 हजार सालाना • सालाना 12 लाख रुपए से कम के टर्न ओवर पर मात्र सौ रुपए पंजीयन शुल्क • लाइसेंस के बिना व्यवसाय करने पर 5 लाख जुर्माना और 6 महीने की सजा।

व्यापारियों की ये हैं मांगें : •अधिनियम की समीक्षा कर कड़े प्रावधानों को सरल बनाएं • जिला मुख्यालयों में शिविर लगाकर लाइसेंस दें • लाइसेंस लेने की समयावधि को एक वर्ष और बढ़ाएं • लाइसेंस के नाम पर भयादोहन बंद करें।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 26.1.2014)

150 एकड़ में शुगर रिसर्च सेंटर

राज्य सरकार 150 एकड़ में शुगर रिसर्च सेंटर बनाएगी। इसके लिए पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में जमीन देखी गई है। मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार मंगला राय की अध्यक्षता में बनी कमेटी जमीन का मुआयना कर तय करेगी कि कहां रिसर्च सेंटर बनेगा। पुणे स्थित यशवंत राय रिसर्च सेंटर के तर्ज पर इसका निर्माण किया जाएगा। गन्ना के अच्छे और नए किस्म के बीज का उत्पादन, उसमें लगने वाले रोग का निवारण, पेराई से अधिक से अधिक चीनी का उत्पादन आदि कार्यों के लिए यहां रिसर्च होगा। कृषि एवं गन्ना विभाग के प्रधान सचिव तथा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति कमेटी के सदस्य होंगे। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 24.1.2014)**

सड़कों के निर्माण के लिए 700 करोड़ दिए

राज्य के विभिन्न इलाकों में सड़कों के निर्माण पर 700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास में हुई कैबिनेट की बैठक में छपरा, दरभंगा, सीवान और आरा समेत अनेक स्थानों के लिए राशि जारी करने को मंजूरी मिली। इनमें राज्य उच्च पथ और वृहद जिला सड़क के लिए 541.85 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से 360 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा।

तसर-मलवरी विकास के लिए 288 करोड़ : कैबिनेट ने मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना के लिए 170.90 करोड़ रुपए दिए हैं। इससे बांका, मुंगेर, नवादा, जमुई, कैमूर और गया में तसर उद्योग से जुड़े लोगों को लाभ होगा। इस योजना को जीविका स्वयं सहायता समूह, पंचायत और संयुक्त वन प्रबंधन समूह के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इसी प्रकार सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया में मुख्यमंत्री मलवरी विकास परियोजना के लिए 118.04 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इन जिलों में उत्पादित मलवरी की 'कौशिकी' नाम से ब्रांडिंग की जाएगी। इससे करीब छह हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 29.1.2014)

40100 करोड़ का होगा योजना आकार

सिंचाई, ग्रामीण सड़क, ऊर्जा, शिक्षा, जलापूर्ति, नगर विकास और आधारभूत संरचना पर जोर

अगले वित्तीय वर्ष में राज्य का योजना आकार 40100 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2013-14 की तुलना में यह 6100 करोड़ रुपए अधिक है। पिछले पांच वर्षों में योजना आकार में दोगुना बढ़ोतरी हुई है। अगले वर्ष में सिंचाई, ग्रामीण सड़क, ऊर्जा, शिक्षा, नगर विकास, जलापूर्ति और आधारभूत संरचना पर पर अधिक जोर रहेगा।

बढ़ता योजना आकार

वर्ष	राशि
2010-11	20 हजार करोड़ रुपए
2011-12	24 हजार करोड़ रुपए
2012-13	28 हजार करोड़ रुपए
2013-14	34 हजार करोड़ रुपए
2014-15	40100 करोड़ रुपए

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 29.1.2014)

बिहार में बिछेगा सड़कों का जाल

केंद्र ने बिहार को ग्रामीण इलाकों में करीब 3,000 नई सड़कों का निर्माण करने की मंजूरी दे दी। इन सड़कों के निर्माण की अनुमानित लागत 4,000 करोड़ रुपये से अधिक है और इस रकम का आवंटन कर दिया गया है। इसके साथ ही केंद्र ने बिहार के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 450 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन भी किया है।

"पिछले 3 साल में केंद्र ने बिहार को जितनी मदद दी है, उतनी पहले कभी नहीं दी गई। इस दौरान केंद्र ग्रामीण इलाकों में सड़कों के निर्माण के लिए 12,000 कराड़े रुपये दिए, हमने मनरेगा के लिए भी पूरा पैसा दिया है।"

– जयराम रमेश, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 25.1.2014)

बनेगी फैक्ट्री, आएगी समृद्धि

मढौरा के तालपुरैना में प्रस्तावित रेल डीजल इंजन कारखाना को केन्द्रीय मंत्रिमंडल से दूसरी बार स्वीकृति मिली है। पहली बार मंजूरी 2009 में दी थी। तब से पांच वर्षों में लागत खर्च में हुई बढ़ोत्तरी को लेकर योजना की राशि बढ़ाकर पुन: मंजुरी दी गई है। इसके साथ-साथ मधेपुरा में लगने वाली इलोक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन कारखाना को भी मंजूरी दी गई है।

महत्वपूर्ण है डीजल इंजन परियोजना : मढ़ौरा की डीजल इंजन फैक्ट्री रेलवे की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। यह फैक्ट्री वाराणसी की डीजल लोकोमोटिव से कई मामले में बेहतर है। इस परियोजना के पूरा होने पर उच्च क्षमता वाली हाई स्पीड वाली करीब 100 इंजन प्रति वर्ष निर्मित होंगे। इसकी बिक्री देश के अलावा अन्य दूसरे देशों में भी होगी।

क्या करना है : • रेल पैक्ट्री परियोजना- 2052.58 करोड़ • प्रतिवर्ष निर्माण क्षमता-100 इंजन अनुमानित • आवश्यक जमीन-1200 एकड़ • प्रत्यक्ष-परोक्ष रोजगार- 30-35 हजार लोगों को • फैक्ट्री निर्माण की शर्त-पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप • अन्य निर्माण-आवासीय कालोनी, स्कूल, अस्पताल, स्टेडियम आदि

अब तक क्या हुआ है : • अधिग्रहित जमीन- 220 एकड़ अब तक मुआवजा भुगतान- 70 एकड़ का • जमीन मापी टेंडर-27 लाख • एप्रोच रोड टेंडर- 4 करोड़ • कैम्प कार्यालय का टेंडर- 30 लाख • एप्रोच रोड की स्थिति- 800X16मीटर • एप्रोच रेलवे लाइन- 4 किलोमीटर। **(साभार : दैनिक जागरण, 25.1.2014)**

टिकट रद्द करने पर नुकसान के लिए एयरलाइन जिम्मेदार

एयर इंडिया एक्सप्रेस बनाम सुमंत भारद्वाज और अन्य, वॉल्यूम- 4, 2013 CPJ, Page-508 (NC) **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 26.1.2014)**

राजेन्द्रनगर टर्मिनल, आरा व बक्सर में लगेंगी एस्केलेटर

पटना जंक्शन पर एस्केलेटर के उदघाटन की तैयरियों के बीच रेल मंडल को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से दानापुर रेल मंडल के राजेन्द्रनगर टर्मिनल, आरा व बक्सर स्टेशन पर भी एस्केलेटर लगाई जाएंगी। करोड़ों की लागत से बनने वाली इन सीढ़ियों को मेट्रो की तर्ज पर बनाया जाएगा। जिससे स्टेशन की रौनक भी बढ़ेगी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 28.1.2014)**

पटना जंक्शन पर फुट ओवरब्रिज के जरिये भी मिला नया प्रवेश द्वार

पूर्व मध्य रेल के जीएम मधुरेश कुमार ने पटना जंकशन पर बने नये फुट ओवरब्रिज और आरक्षण काउंटर पर ड्यूल डिसप्ले इनफॉरमेशन सिस्टम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नया फुट ओवरब्रिज दूसरे प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल हो सकेगा और प्लेटफॉर्म पर पहुंचने में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र जंकशन की भी जल्द शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि जंकशन की पश्चिमी तरफ नया ब्रिज बन जाने से अब पूरब के ब्रिज पर लोड कम हो जायेगा। नया फुट ओवर ब्रिज चौड़ा भी हो गया है। इससे यात्रियों को आने-जाने में सुविधा होगी।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 18.1.2014)

F.No. 1/1/ Enf- I/FSSAI /2012
Food Safety and Standards Authority of India
Ministy of Health and Family Welfare
FDA Bhavan, Kotla Road, New Delhi - 110002

4 th February , 2014

STATUTORY ADVISORY

Subject: Extending time line upto 4th August 2014 for the Food Business Operators seeking conversion/renewal of existing license /registration under repealed Orders.

The time line mentioned in the sub-regulation 2.1.2 of Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Business) Regulations, 2011 has been further extended upto 04.08.2014.

This issues with the approval of the competent authority.

Sd/-
(Sanjay Gupta)
Assistant Director (Enforcement)

To
1. All Food Safety Commissioners of States / UTs
2. All Central Designated Officers

दनियावां-बिहार शरीफ रूट पर मार्च से दौड़ेंगी ट्रेनें

रेलवे जल्द ही यात्रियों को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। दनियावां से बिहार शरीफ को जोड़ने वाला रेलखंड बनकर तैयार है। मार्च से इस पर ट्रेनें फर्राटा भरेंगी। हालांकि ट्रायल के तौर पर इस ट्रैक पर कुछ दिनों तक सिर्फ इंजन को चलाया जाएगा। इस रेलखंड पर साल 2004 में काम शुरू हुआ आ।

10 साल बाद मार्च में यह ट्रेनों की आवजाही के लिए तैयार हो जाएगा। इस 38 किमी लंबे रेल लाइन के निर्माण में 380 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसका निर्माण पूर्व रेलमंत्री नीतीश कुमार के समय में शुरू हुआ था। बाद में मंत्रालय किसी और के जिम्मे आने के बाद काम की प्रगति धीमी हो गयी थी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 20.1.2014)**

खासमहाल जमीन के दस्तावेज होंगे ऑन लाइन

जिले की खासमहाल जमीन को लेकर आये दिन विवाद और असमंजस की स्थिति के आलोक में कलेक्टर ने उससे संबंधित सभी दस्तावेज ऑन लाइन करने का आदेश दिया है। **(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 22.1.2014)**

EDITORIAL BOARD

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296